

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक: एफ.1(1)शिक्षा/ग्रुप-3/2019

जयपुर, दिनांक: 5 APR 2019

-: आदेश :-

राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) के निम्नांकित अधिकारियों को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने पर, उनके नाम के सम्मुख कॉलम सं.-6 में अंकित दिनांक को अपरान्ह से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री/डॉ.)	पदनाम	कॉलेज/कार्यरत स्थान	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	दिनेश तिवाडी	उपाचार्य	सहायक निदेशक कार्यालय कोटा	07.06.1959	30.06.2019
2.	राजकुमारी जैन	सह-आचार्य	सम्राट पृथ्वीराज चौहान राज. महा., अजमेर	06.01.1959	31.01.2019
3.	अंशुमा कुमार	सह-आचार्य	सम्राट पृथ्वीराज चौहान राज. महा., अजमेर	05.02.1959	28.02.2019
4.	आदरबाद मोटाफ़ाम	सह-आचार्य	सम्राट पृथ्वीराज चौहान राज. महा., अजमेर	07.05.1959	31.05.2019
5.	मीनू माथुर	सह-आचार्य	सम्राट पृथ्वीराज चौहान राज. महा., अजमेर	03.06.1959	30.06.2019
6.	मधु माथुर	सह-आचार्य	सम्राट पृथ्वीराज चौहान राज. महा., अजमेर	14.06.1959	30.06.2019
7.	नीलम कौशल	सह-आचार्य	सम्राट पृथ्वीराज चौहान राज. महा., अजमेर	24.06.1959	30.06.2019
8.	परमेश्वरी पमनानी	सह-आचार्य	सम्राट पृथ्वीराज चौहान राज. महा., अजमेर	26.06.1959	30.06.2019
9.	कैलाश चंद शर्मा	सह-आचार्य	राज. कन्या महा., पाली	01.07.1959	30.06.2019
10.	मधु गुप्ता	सह-आचार्य	सम्राट पृथ्वीराज चौहान राज. महा., अजमेर	02.07.1959	31.07.2019
11.	किर्ति माथुर	सह-आचार्य	एम. एस. कन्या महाविद्यालय, बीकानेर	03.07.1959	31.07.2019
12.	किशानी फुलवानी	सह-आचार्य	सम्राट पृथ्वीराज चौहान राज. महा., अजमेर	08.09.1959	30.09.2019
13.	रश्मि गर्ग	सह-आचार्य	सम्राट पृथ्वीराज चौहान राज. महा., अजमेर	12.12.1959	31.12.2019
14.	सुरेन्द्र जोशी	सह-आचार्य	सम्राट पृथ्वीराज चौहान राज. महा., अजमेर	01.01.1960	31.12.2019
15.	सुरेश कुमार जैन	सह-आचार्य	राजकीय महाविद्यालय, जयपुर	15.12.1959	31.12.2019

कृ-प-३-

साथ ही इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31.01.2019 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :-

(अ) प्राचार्य के सेवानिवृत्ति आदेश दिनांक 31.01.2019 में -

1. क्रम संख्या 8 के सामने कॉलम संख्या 4 में "आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर" के स्थान पर "राजकीय महाविद्यालय, खेतड़ी" पढ़ा जावे।
2. क्रम संख्या 30 के सामने कॉलम संख्या 4 में "राजकीय कला महाविद्यालय, दौसा" के स्थान पर "राजकीय कन्या महाविद्यालय, सवाईमाधोपुर" पढ़ा जावे।

(ब) सह आचार्य के सेवानिवृत्ति आदेश दिनांक 31.01.2019 में -

1. क्रम संख्या 20 के सामने कॉलम संख्या 2 में "राजेश बागडी" के स्थान पर "राजेन्द्र प्रसाद बागडी" तथा कॉलम संख्या 4 में "राजकीय महाविद्यालय, नाथद्वारा" के स्थान पर "राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर" पढ़ा जावे।
2. क्रम संख्या 16 व 17 के सामने कॉलम संख्या 2 में अंकित नाम क्रमशः "जगमोहन" के स्थान पर "जगमोहन माथोडिया" एवं "मोहन माथुर" के स्थान पर "श्रीमोहन माथुर" पढ़ा जावे। क्रम संख्या 34 के सामने कॉलम संख्या 4 में "राज. कन्या. महा. सीकर" के स्थान पर "राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर" पढ़ा जावे।
3. क्रम संख्या 98 के सामने कॉलम संख्या 2 में "प्रतिभा पण्डा" के स्थान पर "प्रतिभा पण्डा" पढ़ा जावे।

(स) पी.टी.आई. के सेवानिवृत्ति आदेश दिनांक 31.01.2019 में -

1. क्रम संख्या 6 के सामने कॉलम संख्या 4 में "राजकीय महाविद्यालय, बाडमेर" के स्थान पर "राजकीय महिला महाविद्यालय, बाडमेर" पढ़ा जावे।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर तालिका में नामित अधिकारियों के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियाँ विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

यह स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दिये गये किसी प्रकार के ऋण शेष नहीं होने एवं अधिकारी के राजकीय आवास में अधिवासित होने की स्थिति में, उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि से दो माह की अवधि में राजकीय आवास रिक्त कराने की शर्त पर जारी की जाती है।

उक्त अधिकारियों के पेंशन परिलामों के नियमानुसार भुगतान में विलम्ब की स्थिति के लिए विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रामस्वरूप चौहान)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, राज्य मंत्री उच्च शिक्षा विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा।
4. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. सम्बन्धित महाविद्यालय/अधिकारी द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : एफ1()प्रशा./आकाशि/2019/ 3127

दिनांक:- 09.04.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. संबंधित प्राचार्य/ संबंधित अधिकारी।
3. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राज. जयपुर।
5. स्थापना शाखा कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
6. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर को अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. दीपक मेहरा)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर